



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112025-267967
CG-DL-E-26112025-267967

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 24, 2025/अग्रहायण 3, 1947

No. 349]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 24, 2025/AGRAHAYANA 3, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार वार्ता बहुपक्षीय प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2025

फा. सं. के-44033/1/2020.—टी पी डी (टी एन एम): दिनांक 16 मई 2025 के समसंख्यक राजपत्र अधिसूचना का संशोधन करते हुए, एतद्वा रा आम सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री अमिताभ कुमार, अपर सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, तत्काल प्रभाव से श्री सिद्धार्थ महाजन, संयुक्त सचिव के स्थान पर निम्नलिखित प्रयोजन के लिए नामित प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करेंगे:

- सीमाशुल्क प्रशुल्क (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995, यथासंशोधित;
- सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995, यथासंशोधित;

- iii) सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियम, 1997 यथासंशोधित और सीमा शुल्क प्रशुल्क (संक्रमणकालीन उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियम, 2002 यथासंशोधित और
- iv) रक्षोपाय साधन (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियम, 2012 यथासंशोधित

राकेश कुमार, अपर डीजीएफटी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(TRADE NEGOTIATIONS MULTILATERAL DIVISION)
ORDER

New Delhi, the 21 November, 2025

F. No. K-44033/1/2020-TPD(TNM):—In modification of Gazette Notification of even number dated 16th May 2025, it is hereby notified for the general information that Shri Amitabh Kumar, Additional Secretary, Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce shall discharge the functions of the Designated Authority with immediate effect, in place of Shri Siddharth Mahajan, Joint Secretary, for the purpose of:

- i) The Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidised Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended;
- ii) The Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended;
- iii) The Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 as amended and Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002, as amended; and
- iv) Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012, as amended.

RAKESH KUMAR, Addl. DGFT